

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
33/24	212 RTA	छबडा	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सुशीला	बनाम	कवंरलाल	
वकील :-	श्री राकेश कुमार गालव	आदेश पत्रक	वकील:- श्री अमृतलाल
दिनांक	श्री अमृतलाल	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
03.06.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज्य सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.06.2024 को पेश हो।		
24.6.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपर। अप्रार्थीगण के नामित लम्बन प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्रावली वाले ईतजार लम्बन दिनांक 9.7.24 को पेश हो।		
9.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपर। अप्रार्थीगण की धारे से श्री भावान बलरिया एडवोकेट का बकालत नामा पेश हुआ। जो 8 शीट 'डूल् वाड' पत्रावली किया। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 31.7.24 को पेश हो।		
31-7-24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...18.9.24...को पेश हो।		
18.9.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...4.11.24...को पेश हो।		
4.11.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...16.12.24...को पेश हो।		

कार्यवाही एवं आदेश

विवरण

दिनांक 16-12-24 पत्रावली पेश हुई। प्रकृत ए जरी के उपाय अपायी गण की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। सत्र पास है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.1.25 को पेश हो।

27.1.25 अज्ञेय गीतारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 2.3.25 को पेश हो।

सु
रोडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

11.3.25 अधिकाधिक जमीन कर जर्नल पर उल्लेख किये गए पत्रावली आगे पेश हुई ककील जमीन का कथन है कि जमीन का एक कास - पायालय में डिपॉजिट है उक्त कास पर न जर्नल पर जो कास लेना चाहती है डिपॉजिट कराना चाहती है ककील जमीन को पुनः गण पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अपडेट किया गया। जमीन का जर्नल सीकाट किया गया है कि जमीन का जर्नल पर डिपॉजिट किया जाता है पत्रावली किये जाते हैं उक्त कास रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्यालय दफ्तर हो।


क. वि. सुनीलका